

WESTERN RAILWAY

P.S.No: 56/2013

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. E/DAR/308/0 Vol.XI

Date: 31.7.2013

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Action to be taken in cases where the Railway Servants are
convicted by criminal courts.

=====

A copy of Railway Board's letter No.E(D&A)2013 RG6-1 dated
8.7.2013 (RBE No.65/2013) is sent herewith for information, guidance and
necessary action.

Encl: As above.



(G.S. Yadav)
Dy.CRO(HQ)

For General Manager (E)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(D&A) 2013 RG6-1

New Delhi, dated 8.7.2013

The General Managers (P),
All Indian Railways and
Production Units etc.,
(As per standard list).

Sub:- Action to be taken in cases where the Railway Servants are convicted by criminal courts.

A Zonal Railway had in the year 2011, referred to the Ministry of Railways for appropriate action, the case of a Railway servant who had retired from service on superannuation in January, 1992 and had been convicted by the CBI court on a criminal charge in November, 1992. The trial court had sentenced the retired Railway Servant concerned to undergo rigorous imprisonment of one year and to also pay a fine of ₹1000. The retired Railway servant concerned filed an appeal against his conviction which was admitted in December, 1992. While admitting the appeal the appellate court had granted bail to the convicted Railway servant and also stayed the realisation of fine from him pending disposal of his appeal.

2. The matter was examined by the concerned Directorate in this office and papers thereafter, were submitted to the Hon'ble Minister for Railways for consideration on behalf of the President under Rule 9 of Railway Services (Pension) Rules, 1993. Hon'ble Minister for Railways has taken a very serious view of the abnormal delay of as much as about two decades that has taken place in referring this case to the Board's office for further action.

3. The case records has revealed that the abnormal delay as aforesaid took place in the case mainly due to lack of clarity on the part of Zonal Railway authorities as to whether action could be taken against a Railway servant based on his conviction when the appeal filed by him against his conviction is pending. In this connection, attention of the Railways is invited to instructions contained in Board's letter No. E(D&A) 93 RG6-65 dated 6.6.1994. It may be noticed that these instructions clearly answers the issue in question. It has been categorically provided in Board's letter dated 6.6.1994 mentioned above that the mere filing of an appeal and/or stay of the execution of the sentence do not take away the effect of conviction, unless the appeal is allowed and the conviction is set aside by the appellate court. The competent disciplinary authority may proceed with the institution/completion of disciplinary proceedings, including imposition of the penalty as prescribed in the disciplinary rules, on the basis of conviction imposed on the Railway servant by a criminal court notwithstanding the fact that a higher court on an appeal filed by the railway servant concerned may order suspension of the "sentence" passed by the trial court till the final disposal of the appeal.

4. The instructions brought out in para 3 above are hereby reiterated for the information and guidance of all concerned. It may please be ensured that in case of conviction of a Railway servant on a criminal charge prompt action is taken in the light of

the position stated in Railway Board's letter dated 6.6.1994 under reference so that the type of the situation as took place in the case referred to in this letter, be avoided in future.

5. Please acknowledge receipt.



(Harish Chander)
Deputy Director Establishment (D&A)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डीएफए)2013 आरबीई-1

नई दिल्ली, दिनांक 07.20.13

सहायक सचिव (आर्थिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयों आदि,
(समाप्त सूची के अनुसार)

विषय: फौजदारी अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए रेल कर्मचारियों के मामलों में की जाने वाली कार्यवाही।

एक शीर्षक रेलवे जे जनवरी, 1992 में अधिष्ठीता की जाहू प्रामाण्य होने पर सेवानिवृत्त हुए एक रेल कर्मचारी विरुद्ध दिसम्बर, 1992 में सीबीआई अदालत द्वारा आपराधिक आरोप के संबंध में दोषी ठहराया गया था, का मामला वर्ष 2011 में रेल मंत्रालय को उचित कार्रवाई करने के लिए भेजा था। दायत कोर्ट में संबंधित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को एक वर्ष के कारावास के साथ 1000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई थी। संबंधित सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी ने इस सजा के खिलाफ अपील ट्रायल की थी जिसे दिसम्बर, 1998 में एडजिस्ट किया गया था। अपील खसतिद करने समय अपीलीय अदालत ने अपील का निपटारा होने तक दोषी ठहराए गए रेल कर्मचारी को जमानत प्रदान की थी और उसमें जुर्माना लिए जाने पर भी स्वयंसेवक आदेश दे दिया था।

2. इस कर्मचारी के संबंधित निदेशालय द्वारा इस मामले की जांच की गई और तदनुसार दरतावेजों को रेलवे सच (पेशवा) नियम, 1993 के नियम 9 के तहत राष्ट्रपति जी की ओर से विचार करने के लिए शासकीय रेल मंत्री जी को प्रस्तुत किया गया। शासकीय रेल मंत्री जी ने इस मामले को भाग की कार्यवाही करने के लिए छोड़े कार्यालय को भिजवाने में लगी समझ हो दरतावेजों को अमान्य तरीके को बहुत संक्षेपता से लिया है।

इस मामले के दरतावेजों से यह खतरा हुआ है कि उपर्युक्त असाभ्यन्त तरीके मुख्य रूप से इस कारण से हुई कि शीर्षक रेलवे अधिकारियों को यह स्पष्ट नहीं था कि क्या किसी ऐसे दोषी ठहराए गए रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाई की जा सकती है जब उसे दोषी ठहराने के विरुद्ध उसके द्वारा ट्रायल की गई अपील पर अभी निर्णय हुआ हो। इस संबंध में रेलवे का च्याप बोर्ड के दिनांक 6.6.1994 के पत्र सं ई(डी) संड ए) 93 आरबीई-6-83 में अधिष्ठीत अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। यह देखा जा सकता है कि इन अनुदेशों से यह स्पष्ट है निर्दिष्ट घटने का उल्लंघन हो जाना है। अगर अधिष्ठीत बोर्ड के दिनांक 6.6.1994 के पत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि मात्र अपील ट्रायल करने और/अथवा सजा के तत्पश्चात् तब संश्लेषण आदेश दे दिए जाने से दोषी ठहराए जाने का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक कि अपीलीय अदालत द्वारा अपील का भाग नहीं लिया जाता अथवा दोषसिद्धि रद्द नहीं हो जाती। इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित रेल कर्मचारी द्वारा ट्रायल की गई अपील पर उच्चतर न्यायालय द्वारा अपील को अनिम रूप से निपटारा जाने तक ट्रायल कोर्ट द्वारा घास की गई "सजा" के संबंध में स्वयंसेवक आदेश जारी किया की तब भी सहाय अनुशासनिक सचिव/फौजदारी अदालत द्वारा रेलवे कर्मचारी की दोषसिद्धि के आधार पर अनुशासनिक न्यायिक निसर्गों के अनुसार कार्यवाई करनी, जिसमें अनुशासनिक कार्यवाई के उपरांत बंड समाप्त शामिल है, की कार्यवाई कर सकते हैं।

11

4. अतःद्वारा उपर पैरा 3 में दिए गए अनुदेश, सभी संघों/पैलों की संख्या और आगंतुकीय के लिए दोहराव काले हैं। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि आध्यात्मिक आरण्य के संबंध में इस कार्यकारी के द्वारा प्राप्त ज्ञान के मामले में, रेलवे बोर्ड के दिनांक 6.8.1994 के संदर्भापीक पत्र में दी गई स्थिति के अनुसार स्थिति का रिकार्ड किया जाए ताकि इस पत्र में उल्लिखित मामलों में जैसा हुआ है इस प्रकार की दिवसि क्रियाएं में न हो।

5. कृपया ध्यान दें।

(अधीन समुद्र)

उप निदेशक स्यादता (डी रंड ए)

रेलवे बोर्ड